

न्यायालय - मानवीय राज्य मण्डल ग्राह प्रदेश, रायगढ़

प्रकरण क्रमांक / / 2014 निगरानी

R. 785-II/14

आशुतोष संक्षेपा पुत्र श्री गोपाल कृष्ण संक्षेपा
आयु - 14 वर्ष, नाबालिंग रायड़क गिरा गोपाल
कृष्ण संक्षेपा, निवासी रायड़गढ़ जिला गुना
₹ 50/- ----- आवेदक

बनाम

1. मध्य प्रांत छारा ब्लैकटर महोदय गुना
जिला गुना ₹ 50/-
2. तहसीलदार रायड़गढ़ परगना रायड़गढ़
जिला गुना ₹ 50/-
3. अनुचिभागीय अधिकारी रायड़गढ़, जिला
गुना ₹ 50/-
4. सहायक अधीकारी भू अभिकेतन रायड़गढ़
जिला गुना ₹ 50/-
5. राज्य निरीक्षक युत्त-1 रायड़गढ़ जिला
गुना ₹ 50/- ----- अधिवेदनगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 गोप्ता भू राज्य
संहिता विळु आदेश दिनांक - 08-02-2013 प्रकरण क्रमांक
46-अ-12/2012-2013, न्यायालय तहसीलदार महोदय परगना
रायड़गढ़ जिला गुना ₹ 50/-

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार

प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक

वर्तने
प
ताल
के लिए


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—785—दो / 2014

जिला—गुना

आशुतोष सक्सेना विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश |
|---------------------|--|
| 17-06-2019 | <p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार परगना राघौगढ़, जिला—गुना के प्र. क्र. 46 / अ—12 / 2012—13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 08—02—2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला—गुना को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—08—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p> <p style="text-align: right;">(आर.के. जैन) ४८६१९ सदस्य</p>  |